न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– अपील प्रकरण संख्या 25/2015

1. रामजी दास (एच.यू.एफ.) 121 नर्द धान मण्डी श्रीगंगानगर द्वारा वर्तमान कर्त्ता व मनैजर अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र रामजीदास 3 आई 1 जवाहरनगर श्रीगंगानगर कर्त्ता व मैनेजर रामजीदास (एच.यू.एफ.)

– – **अपीलान्ट**

–:: बनाम ::–

1. ग्राम पंचायत 11 एल.एन.पी. तहसील श्रीगंगानगर जरिये ग्राम पंचायत 11 एल.एन.पी. तहसील श्रीगंगानगर।

– – **रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1954

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री जगदीश राय गुप्ता अधिवक्ता — अपीलान्ट
2. प्रतिवादी संख्या 1 एक पक्षीय दिनांक 01.02.2017

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 6-4-17

अपीलान्ट की ओर से ग्राम पंचायत 11 एल.एन.पी. तहसील श्रीगंगानगर का इन्तकाल नम्बर 131 दिनांक 10.03.2000 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी के पिता रामजीदास पुत्र धन्नीराम जाति अग्रवाल निवासी 46 सी ब्लाक श्रीगंगानगर वर्तमान निवासी 3 एफ 12 जवाहरनगर श्रीगंगानगर जो कि रामजीदास एच.यू. एफ. 121 नई धानमण्डी श्रीगंगानगर के कर्त्ता व मनैजर थे के द्वारा एच.यू.एफ. की सम्पत्ति (रूपया) के जरिये बैयनामा दिनांक 28.12.1999 के सहीराम आदि के चक 12 एल.एन.पी. तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 32/32 मुरब्बा नम्बर 34, 35 की कुल 12.12 बीघा में से 7 बीघा 9–3/5 बिस्वा नहरी आराजी खरीद की तथा बैयनामा दिनांक 28.12.1999 के चानणराम आदि से चक 12 एल.एन.पी. के खातासंख्या 32/32 मुरब्बा नम्बर 34, 35 की आराजी में से 111 बीघा 4–2/5 बिस्वा आराजी क्रय की बैयनामें की नकले शामिल है, बैयनामा में स्पष्ट तौर से अंकित है, कि "रामजीदास पुत्र धन्नीराम अग्रवाल निवासी 46 सी ब्लांक हाल 3 एफ 12 जवाहरनगर श्रीगंगानगर एच.यू.एफ. (खरीददार) मगर इस रकबा का इन्तकाल दर्ज करते समय पटवारी तथा आई.एल.आर. द्वारा एच.यू.एफ. दर्ज नहीं किया गया तथा ग्राम पंचायत द्वारा इन्तकाल नम्बर 131 को दिनांक 10.03.2000 को सवीकृत कर दिया अब भूमि सुधार के लिये रामजीदास के देहान्त के आद जमाबन्दी की नकल दिनांक 18.08.2015 को लेनें पर यह पता चला कि इन्तकाल में एच.यू.एफ. दर्ज ना होनें से जमाबन्दी में भी दर्ज होने से रह गया है। अतः इसकी हद तक यह अपील निम्नलिखित आधारों पर पेश की गई :–

1. इन्तकाल नम्बर 131 दिनांक 10.03.2000 जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि शामील है में एच.यू. एफ. दर्ज ना करनें की हद तक गलत होनें से काबिल दुरूस्ती के है।
2. इन्तकाल दर्ज करनें से पूर्व ना तो रामजीदास को कोई नोटिस दिया गया इस प्रकार गलत व यकतरफा तस्दीक किया गया है, अगर सुनवाई का अवसर दिया जाता तो इस प्रकार की गलती इन्तकाल में नहीं होती।

लगातार..... 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

3. रामजीदास पुत्र धन्नीराम एच.यू.एफ. कर्त्ता व मैनेजर होने से उसके नाम के आगे एच.यू. एफ. दर्ज किया गया है, बैयनामा जात की नकले शामिल है इस प्रकार बैयनामा जात में क्रेता को एस.यू.एफ. दिखाया गया है। इसलिये इन्तकाल में भी एच.यू.एफ. दर्ज करना आवश्यक था। आई.एल.आर. नें इन्तकाल नम्बर 131 पर जो अपनी रिपोर्ट दिनांक 01.03.2000 को ही उसमें दस्तावेज से मिलान करनें का अंकित किया गया है। जबकि मिलान नहीं किया गया है। अगर मिलान किया जाता तो रामजीदास के आगे एच.यू.एफ. दर्ज किया जाता उपरोक्त सम्पति एच.यू.एफ. की सम्पत्ति (धनराशि) से क्रय की गई इस सम्बंध में पंजाब नेशनल बैक बीरबल चौक श्रीगंगानगर के खाता संख्या एस.बी. 2–25148 की नकल शामिल है। जिससे स्पष्ट है, कि उपरोक्त सम्पत्ति क्रय करनें पर जो धनराशि खर्च की गई है वह एच.यू.एफ. फर्म की है, रामजीदास का वारिस प्रमाण पत्र भी शामिल है। जिसके अनुसार भी एच.यू.एफ. के मैम्बरान का अंकित किया गया है। तथा इनमें सबसे बड़ा व पुरूष सदस्य अप्रार्थी अनिल कुमार है। अतः उसको अपील पेश करनें का अधिकार हासिल है। जैसा कि एच.यू.एफ. टैक्स कानून की धारा 7 में अंकित किया गया है जिसकी नकल शामिल है।
4. एच.यू.एफ. के अन्य सदस्यों के एक डिक्लेशन डीड भी दिनांक 18.11.2008 को तहरीर करवाई गई है जिसके अनुसार भी अपीलान्ट अनिल कुमार को अधिकार दिया हुआ है जमाबन्दी की नकल शामिल है। जिससे भी यह स्पष्ट है, कि इन्तकाल में गल्ती के कारण जमाबन्दी में रामजीदास के नाम के आगे एच.यू.एफ. दर्ज नहीं हुआ है।
5. इस प्रकार इन्तकाल नम्बर 131 दिनांक 10.03.2000 जमाबन्दी सन् 2000 से आज तक चालू जमाबन्दी के खाना संख्या 4 में रामजीदास के बाद एच.यू.एफ. दर्ज करना आवश्यक है, जो कि दुरूस्ती इन्तकाल का मामला है।

अतः इन्तकाल संख्या 131 दिनांक 10.03.2000 में रामजीदास के नाम के आगे एच. यू.एफ. दर्ज करनें का आदेश फरमाया जावे जिससे कि सन् 2000 से अब तक की समस्त जमाबन्दीयों की आवश्यक दुरूस्ती हो सके।

अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के साथ अन्तर्गत धारा 5 एक्ट मियाद का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर देरी कन्डोन कर अपील को अन्दर मियाद मानकर कार्यवाही करनें का निवेदन किया ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिऐ रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या को तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन की ए.डी. रसीद न्यायालय को प्राप्त नहीं हुई तथा ही मूल सम्मन भी एक माह से अधिक समय व्यतित होने पर भी न्यायालय में वापिस प्राप्त हुए तथा ना ही रेस्पोडेन्ट असालतन/वकालतन उपस्थित आया इस कार रेस्पोन्ड के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई दौराने बहस अपीलान्ट के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा अपील के कथनों को दोहराते हुए अपील स्वीकार किये जानें हेतु निवेदन किया गया।

हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवम् पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहन अवलोकन किये जानें पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पंजीकृत बैयनामा को ध्यान में नहीं रखते हुए इन्तकाल दर्ज किया है। अतः अपील अपीलान्ट पोषणीय पाई जानें पर स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत 11 एल.एन.पी. द्वारा दर्ज इन्तकाल नम्बर 131 दिनांक 10.03.2000 को दुरूस्त किया जाकर आदेश दिये जाते है, कि रामजीदास के नाम के आगे एच.यू.एफ. दर्ज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

लगातार..... 3

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को उक्तानुसार नामान्तरण संख्या 131 दिनांक 10.03.2016 में दुरूस्ती की जाकर राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती की जानें हेतु लिखा जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 6-4-17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर